

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ14(एनएच)2012 / एफसीए / प्रमुखसं / ५५२०

दिनांक: २०/०८/२०१५

कार्यालय—आदेश

जिला प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के वनमण्डल क्रमशः प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में एनएच १३ के सेक्षण प्रतापगढ़ — पादी किमी. ८०.०० से ११८.२६० (प्रतापगढ़ वनमण्डल) ३१.९३५ हैं तथा किमी. ११८.२६० से किमी. १८०.०० तक (बांसवाड़ा वनमण्डल) १०.३०७ हैं (कुल ४२.२४२ हैं) वनभूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति उक्त मार्ग के वाईडेनिंग तथा रिहेब्लिटेशन टू २ लेन / २ लेन विथ पेढ़ शोल्डर हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक ८-६०/२०१४—एफसी दिनांक ३०.०३.१५ द्वारा शर्तोधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने जरिये अपने पत्रांक ११-३०६/२०१४—एफसी दि. ७.५.१५ द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत ओरिजनल एप्लीकेशन नं. ५२/२०१५ के संदर्भ में दि. १३.३.२०१५ को जारी आदेश के कम में दिये गये निर्देशों के अनुसार लिनियर प्रोजेक्ट हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण जिनमें भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा यूजर एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के कम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य आवश्यक मदों में राशि जमा करवायी गयी है, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि वन विभाग के पक्ष में रथानांतरित कर, उसका वन विभाग के पक्ष में अमल—दरामद किया जा चुका हो, उसमें राज्य सरकार के स्तर से कुछ शर्तोधीन वनभूमि में कार्य करने की अनुमति तथा परियोजना से प्रभावित वृक्षों के पातन की स्वीकृति जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।

चूंकि उक्त परियोजना हेतु वांछित ४२.२४२ हैं वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा जिसकी शर्तों की पालना हेतु यूजर एजेंसी द्वारा समस्त आवश्यक राशि तर्दह केम्पा में जमा करवा दी गई है तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित कर उसका वन विभाग के पक्ष में अमल—दरामद कर दिया गया है। अतः भारत सरकार के पत्र दिनांक ८.८.१४ एवं ७.५.१५ एवं राज्य सरकार के पत्र दि. १२.५.१५ के कम में परियोजना हेतु आवश्यक ४२.२४२ हैं वनभूमि के कार्य प्रारम्भ करने एवं प्रस्तावनासार वनमण्डल प्रतापगढ़ में ५५७२ वृक्षों तथा बांसवाड़ा में १२०८ कुल ६७८० वृक्षों के पातन की स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान करने की अनुमति जारी करने के आदेश एतद्वारा प्रसारित किये जाते हैं:-

- प्रयोक्ता अभिकरण (NHAI) द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में दिये गये विवरणानुसार ही उक्त राजमार्ग के अपग्रेडेशन एवं सुदृढीकरण का कार्य सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
- अपग्रेडेशन एवं सुदृढीकरण से प्रभावित वनक्षेत्र में आवश्यकतानुसार ही न्यूनतम वृक्षों का तथा अधिकतम प्रस्ताव में उल्लेखित ६७८० वृक्षों का ही पातन किया जावेगा।
- वृक्षों का पातन वन विभाग के निर्देशन एवं कठोर निगरानी में कराया जायेगा।
- वृक्षों के कटान से प्राप्त लकड़ी मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर द्वारा स्थापित अस्थाई डिपो पर प्रयोक्ता अभिकरण (NHAI) द्वारा जमा करवायी जावेगी।
- परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव—जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी।
- प्रत्यावर्तन हेतु प्रभावित वनभूमि/क्षेत्र का उपयोग प्रस्ताव में उल्लेखित प्रयोजन के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
- वनभूमि पर मजदूरों आदि के लिए किसी भी प्रकार का कैप आदि नहीं लगाया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण राज्य वन विभाग अथवा वैधानिक संस्था से वैकल्पिक ईंधन का क्य करके मजदूर इत्यादि को उपलब्ध करायेगा।

२०/०८/१५
(डॉ० एस.एस. चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर।

...PTO

क्रमांक: एफ14(एनएच)2012/एफसीए/प्रमुवसं/ 5521-5531

दिनांक: 20/08/2015

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई-दिल्ली-110001
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षैत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (उठप्र0)
3. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), राज0, जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
7. मुख्य अभियंता (एनएच), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक 654 दि. 16.07.15 के कम में।
8. परियोजना निदेशक, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग (विश्वबैंक) पी.आई.यू., बांसवाड़ा (राज0)
9. उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़/बांसवाड़ा।
10. रक्षी पत्रावली।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर